रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 79] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

सं. पी-20029/22/2001-पीपी.—भारत सरकार, पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 21 नवंबर,1997 के संकल्प सं0 पी-20012/29/97-पीपी द्वारा प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (एपीएम) की समाप्ति के चरणबद्ध कार्यक्रम का ब्यौरा अधिसूचित किया था। इसके परिणामस्वरूप मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), विमानन ईंधन (एटीएफ), सार्वजनिक वितरण के मिट्टी तेल (पीडीएस केरोसीन) और घरेलू रसोई के लिए प्रयुक्त एलपीजी (घरेलू एलपीजी) के अतिरिक्त सभी उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य 1 अप्रैल,1998 से नियंत्रणमुक्त कर दिए गए थे। पूर्वोक्त निर्णय के अनुपालन के रूप में सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 30 मार्च,2001 के संकल्प संख्या 20018/2/2000-पीपी द्वारा 1 अप्रैल,2000 से विमानन ईंधन (एटीएफ) के मूल्यनिर्धारण को नियंत्रणमुक्त कर दिया।

2. नवंबर,1997 के पूर्वोक्त संकल्प में अंतर्विष्ट निर्णयों के अनुसरण में सरकार ने अब 1 अप्रैल 2002 से हाईड्रोकार्बन क्षेत्र में एपीएम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इन निर्णयों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(1) मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के उपभोक्ता मूल्य 1 अप्रैल 2002 से बाजार द्वारा निर्धारित होंगे। परिणामतः पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी के अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा निर्धारित होगा।

(2) पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी पर राजसहायताएं 1 अप्रैल 2002 से भारत की संचित निधि से वहन की जाएगी। ये राजसहायताएं एक विनिर्दिष्ट एक समान दर के आधार पर होंगी जिनके लिए योजना अलग से अधिसूचित की जाएगी। ये राजसहायताएं अगले 3 से 5 वर्षों में समाप्त कर दी जाएंगी।

(3) मालभाड़ा राजसहायता दूरदराज के क्षेत्रों तक पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी की आपूर्तियों के लिए प्रदान की जानी जारी रहेगी जिसके लिए योजना पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी। मालभाड़ा राजसहायता 1 अप्रैल 2002 से भारत की संचित निधि से वहन की जाएगी।

(4) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड के घरेलू कच्चे तेल का मूल्य 1 अप्रैल 2002 से बाजार द्वारा निर्धारित होगा।

(5) तेल पूल खाते 1 अप्रैल 2002 से बंद कर दिए जाएंगे। पूल खाते से तेल कंपनियों का संचयी बकाया निम्न तरीके से समाप्त किया जाएगा:

(क) सरकार 31 मार्च,2002 तक तेल कंपनियों के निपटाए गए बकायों की अनंतिम राशि के बराबर राशि के 80 प्रतिशत की सीमा तक बांड जारी करेगी।

(ख) राजकोषीय वर्ष 2001-02 के लिए लागतों और लाभों के अद्यतनीकरण सहित एपीएम अवधि से संबंधित दावों को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से तेल पूल खातों की विशेष लेखापरीक्षा करने को कहा जाएगा। तेल कंपनियों को देय सारी बकाया राशि लेखापरीक्षा के बाद शेष राशि के लिए बांड जारी करके परिसमाप्त की जाएगी।

(ग) एपीएम अवधि से संबंधित लंबित मुकदमों के अंतर्गत आकस्मिक देयताओं का उस समय सरकारी बजट से निपटान किया जाएगा जब ऐसे मुकदमों के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा।

(6) तेल समन्वय समिति 1 अप्रैल 2002 से समाप्त हो जाएगी।

(7) मंत्रालय की सहायता के लिए 1 अप्रैल 2002 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत 'पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ' के नाम से एक प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ पर व्यय तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) द्वारा वहन किया जाएगा।

(8) निजी क्षेत्र सहित नए प्रवेशकर्ताओं को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 8 मार्च 2002 के संकल्प संख्या पी-23015/1/2001-विपणन में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुसार मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल और एविएशन टर्बाइन ईंधन नामक परिवहन ईंधनों का विपणन करने की अनुमति दे दी जाएगी।

(9) डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम क्षेत्र के कार्य की निगरानी के लिए नियामक तंत्र की स्थापना की जाएगी।

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 28th March, 2002

No. P-20029/22/2001-PP.— The Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas vide Resolution No.P-20012/29/97-PP dated 21st November 1997 had notified the details of phased programme of dismantling of administered pricing mechanism (APM). As a result, the consumer prices of all products except motor spirit (MS), high speed diesel (HSD), aviation

turbine fuel (ATF), kerosene for public distribution (PDS kerosene) and LPG used for domestic cooking (domestic LPG) were decontrolled with effect from 1st April 1998. As a follow up of the aforesaid decision, the Government vide Ministry of Petroleum & Natural Gas Resolution No.20018/2/2000-PP dated 30th March 2001 decontrolled the pricing of aviation turbine fuel (ATF) with effect from 1st April 2001.

2. Pursuant to the decisions contained in the aforesaid Resolution of November 1997, the Government have now decided to dismantle the APM in the hydrocarbon sector with effect from 1st April 2002. The details of the decisions are given below:-

(i) Consumer prices of motor spirit (MS) and high speed diesel (HSD) will be market determined with effect from 1st April 2002. Consequently, the pricing of petroleum products, except for PDS kerosene and domestic LPG will be market determined with effect from 1st April 2002.

(ii) The subsidies on PDS Kerosene and domestic LPG will be borne by the Consolidated Fund of India from 1st April 2002. These subsidies will be on a specified flat rate basis, scheme for which will be notified separately. These subsidies will be phased out in the next 3 to 5 years.

(iii) Freight subsidy will continue to be provided for supplies of PDS Kerosene and domestic LPG to far flung areas, scheme for which will be notified separately. The freight subsidy will be borne by the Consolidated Fund of India with effect from 1st April 2002.

(iv) The price of indigenous crude oil of Oil and Natural Gas Corporation Ltd. and Oil India Ltd. will be market determined with effect from 1st April 2002.

(v) The oil pool accounts will be wound up with effect from 1st April 2002. The cumulative outstandings of the oil companies against the pool account will be liquidated in the following manner:

(a) The Government will issue bonds to the extent of 80% of the amount equivalent to the provisional amount of the settled outstandings of the oil companies upto 31st March 2002.

(b) The pending claims relating to the APM period, including the updation of costs and margins for the fiscal year 2001-02, will be finalized as expeditiously as possible. The C&AG will be requested to do a special audit of the oil pool accounts. The whole of the balance amount due to the oil companies will be liquidated by issuing bonds for the remaining amount after the audit.

(c) The contingent liabilities under the pending litigations, pertaining to the APM period, will be settled from the Government budget as and when such litigations are finally decided.

(vi) The Oil Coordination Committee will be wound up with effect from 1st April 2002.

(vii) A Cell, by the name "Petroleum Planning and Analysis Cell", will be created under the Ministry of Petroleum & Natural Gas effective 1st April 2002 to assist the Ministry. The expenditure on this Cell will be borne by the Oil Industry Development Board (OIDB).

(viii) The new entrants, including private sector, will be allowed to market transportation fuels namely, motor spirit, high speed diesel and aviation turbine fuel as per the guidelines contained in the Ministry of Petroleum and Natural Gas Resolution No.P-23015/1/2001-Mkt. Dated 8th March 2002.

(ix) Regulatory mechanism will be set up to oversee the functioning of the downstream petroleum sector.

SHIVRAJ SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.